



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया देहरादून



Office of the Executive Engineer, Ty.Div., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand
Phone/ Fax:- 01360-276595

E-mail: eepwdsahiyakalsi@gmail.com

Web-http://uk.pwd.gov.in

पत्रांक 1242/6 बी०
सेवा में,

दिनांक २५ / ७ / 2024

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून
उत्तराखण्ड।

विषय:- जनपद देहरादून के अन्तर्गत सबमरजैस चिचराड़ मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.0784 है० वन भूमि का गैर
वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- विधिवत स्वीकृति अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 430(1)/X-4-19
/1(348)/2015 दिनांक 25 नवम्बर, 2019, प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/10805/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त है। परन्तु उक्त
कार्य परिवेश पोर्टल में फार्म A स्टेज।। में प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त, प्रदर्शित हो
रहा है। उक्त सम्बन्ध में आप अपने स्तर से विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें,
ताकि पोर्टल पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त, प्रदर्शित हो सकें।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया
दिनांक /07/2024

पत्रांक /

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता द्वितीय, अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वनभूमि सहायक/खण्डीय अमीन, अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फारेस्ट कालोनी,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

संख्या:

/X-4-19/1(397)/2015

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 25 नवम्बर, 2019

विषय: जनपद देहरादून के अन्तर्गत सबमरजेंस चिचराड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.0784 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2948/FP/UK/ROAD/10805/2015, दिनांक 02 मई, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश संख्या-693/एक्स-4-15/1(397)/2015 दिनांक 11.08.2015 में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद देहरादून के अन्तर्गत सबमरजेंस चिचराड़ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.0784 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की विधिवत् स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पॉलिटेक्निक, के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत यथोचित वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उनका रखरखाव किया जायेगा।
9. मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) के रूप में स्थानान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से राड़क निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिह्नित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
 16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
 17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।
 18. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।
 19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों/वन भूमि के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।
 20. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का **RCC Pillars** लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर **Forward** तथा **Back bearing** अंकित किया जाय।
 21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: 430 (1)/X-4-19/1(348)/2015 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 विधायक, संबंधित वि0सभा क्षेत्र।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकार, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
7. अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0, लोक निर्माण विभाग, साहिया।
8. जिला पंचायत अध्यक्ष, देहरादून।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

12/8/2015 सूचनार्थ
12/8/2015 अवधि 07/08/2015
12/8/2015

आज्ञा
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।